भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5435
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कुट्टनाड में पेयजल संबंधी समस्या

5435. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को केरल के कुट्टनाड में जल में बढ़ती लवणता, प्रदूषण और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण पेयजल के गंभीर संकट की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से कुट्टनाड के लिए विलवणीकरण संयंत्रों, पाइपलाइन अवसंरचना अथवा अन्य जल आपूर्ति परियोजनाओं हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है तथा इनके कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार जल जीवन मिशन (जेजेएम) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कुट्टनाड के लिए पेयजल हेतु विशेष पैकेज पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है, जिसमें केरल के कुट्टनाड, अलप्पुझा जिले में रहने वाले ग्रामीण परिवारों साहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) वाले 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल का प्रावधान किया गया है।

मिशन की शुरुआत में, अलप्पुझा में केवल 1.85 लाख (33.61%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार,

31.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 1.80 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, केरल के अलप्पुझा जिले में 5.52 लाख ग्रामीण परिवारों में से 3.65 लाख (66.20%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। परिवारों को पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए विलवणीकरण के उपयोग सहित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संदर्भ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के तहत शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदित करती है।

परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाओं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, जल भंडारण, संवितरण प्रणालियों अथवा शुद्धिकरण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य वाली परियोजनाएं शामिल हैं, को कार्यान्वित किया जाता है। अत: ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के परियोजना-वार ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****